न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/2243

रामरतन पुत्र श्री जानकी अहिरवार, निवासी-ग्राम गडारी, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ (म०प्र०)

--- निगरानीकर्त्ता

बनाम

1- मातादीन पुत्र श्री करिया अहिरवार, निवासी-ग्राम गडारी, तहसील पलेरा जिला टीकमगढ (म०प्र०)

2- म० प्र० शासन

रिस्पोंडेन्ट

श्री उमा० श्री भटनागर द्वारा आज दि. 5-4-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-4- नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 5-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 21/5/2018 के पालन में संशोधन कर म०प्र० शासन को पक्षकार बनाया गया
5/5/18

Filed by
MP Bhatnagar Advocate
5/4/18.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध न्यायालय अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक ...-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्त्ता की ओर से आवेदन पत्र निम्न तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत है:-

संक्षिप्त तथ्य:-

1. यहकि, निगरानीकर्त्ता द्वारा विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा भूमिस्वामी करिया पुत्र भरता से क्रय कर मालिकाना हक प्राप्त किया था। विचारण न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 19/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2014 के आधार पर निगरानीकर्त्ता के नाम विधिवत नामान्तरण आदेश पारित किया गया था, तभी से निगरानीकर्त्ता काबिज चला आ रहा है। विक्रेता मृत्यु उपरान्त उनके पुत्र मातादीन (रिस्पोंडेन्ट) द्वारा पारित नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिन्होंने अनाधिकृत रूप से निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को धारा 165 (6)... म०प्र० भू-राजस्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2243–एक/2018 जिला– टीकमगढ़

रामरतन विरूद्ध मातादीन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04 –09–18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम.पी. भटनागर एवं अनावेदक क्र. 2 शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री अजय चर्तुवेदी को ग्राहयता के तर्क पर दिनांक 28.08.18 को सुना गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 499/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2018 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ मेरे द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्त सागर का अपील में पारित प्रश्नाधीन आदेश व अनुविभागीय अधिकारी जतारा का प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 22.03.2018 का अवलोकन किया । शासकीय पट्टे की भूमि का विक्रय म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7–ख) में बने प्रावधान का उल्लंघन करते हुये कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ जबलपुर ने म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7–ख) व 158 (3) के अनुक्रम में WA 5239/2017 श्रीमती जया राठी एवम अन्य विरूद्ध श्री सुम्मा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 के निम्नानुसार Observation दिये है– '' The land was granted to the landless persond on	

3

lease by the State Government. The transfer of land leased to a landless persosn could be affected only after getting approval from the Collector. Since admittedly the approval from the Collector was not sought, such transation has been rightly found to be void as such transaction is in contravention of statutory provisons"

4/ अतः उपरोक्त के अनुक्रम में अपर आयुक्त सागर के द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 09.01.2018 में हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। आवेदक अधिवक्ता को नोट कराये।

(आर.के. जैन)
सदस्य